

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

स्लीमनाबाद से करौंदी आश्रम साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र

द्वितीय ई-निविदा आमंत्रण

वर्ष 2022-2025



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर  
डेयरी संयंत्र: करौंदा नाला, इमलिया, आधारताल, जबलपुर  
टोल फ्री नंबर-9406900500

**E-mail :** jdssanchi@gmail.com,

jabalpur.sanchi@gmail.com

**जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर**  
**डेरी प्लांट करौंदा नाला, इमलिया जबलपुर**

**स्लीमनाबाद-करौंदा आश्रम मार्ग हेतु साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र**

1.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन माध्यम से क्रय करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 26.05.2023 से दोपहर <b>1.00</b> बजे
2.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 09.06.2023 दोपहर <b>1.00</b> बजे
3.	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 09.06.2023 दोपहर <b>1.00</b> बजे
4.	तकनीकी अहर्ताएँ परीक्षण दिनांक एवं समय स्थान	दिनांक 12.06.2023 दोपहर <b>3.00</b> बजे मीटिंग हाल, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
5.	निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम. डी. राशि।	रु. 20000/- (रु. बीस हजार मात्र) प्रति मार्ग के मान से ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से जमा।
6.	परिवहनकर्ता कार्य हेतु “तकनीकी अहर्ताएँ” का प्रारूप।	परिशिष्ट क्र. 01
7.	परिवहनकर्ता की आवश्यक “सामान्य शर्तें”	परिशिष्ट क्र. 02
8.	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप	परिशिष्ट क्र. 03 (केवल ऑनलाइन भरें)
9.	परिवहनकर्ता का परिचय	परिशिष्ट क्र. 04
10.	शपथ पत्रों के प्रारूप	परिशिष्ट क्र. 05 से 11
11.	अनुबंध प्रारूप	परिशिष्ट क्र. 12
12.	मार्ग संबंधी विवरण-	वाहन क्षमता, विक्रय मात्रा एवं दूरी
	-स्लीमनाबाद से करौंदा आश्रम हेतु	आपे ऑटो/टाटा एस या समकक्ष क्षमता 1 टन, लगभग दूरी 52 किमी. आना-जाना।

**निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-**

- परिशिष्ट क्र 01 “तकनीकी अहर्ताएँ” का तथा परिशिष्ट क्र 02 निविदा की शर्तें एवं परिशिष्ट क्र. 04 यथा वांछित दस्तावेजों का अध्ययन कर ऑनलाईन के माध्यम से प्रपत्र भरकर प्रस्तुत किये जावे।
- परिशिष्ट क्र क. 03 “भाव पत्र/दरें” केवल ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत की जावे।
- निविदा में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।

- निविदाकार संबंधित मार्ग हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, ऑनलाईन के माध्यम से निविदा प्रपत्र में संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से भरी जावे।

**टिप्पणी :-**

1. निविदा प्राप्त की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

**2. निविदा कार्य अवधि:-**

निविदाएं निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2022-2025 (तीन वर्ष) के लिए आमंत्रित है। तीन वर्ष उपरांत कार्य संतोषजनक होने की दशा में एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तीन वर्ष के कार्यकाल की गणना कार्य आवंटन आदेश की तिथि से मान्य की जावेगी ।

**3. न्यूनतम अर्हताएं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण**

स.क्र.	विवरण	स.क्र.	विवरण
	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।		अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी।
	<b>अनिवार्य अर्हताएं-</b>		<b>अनिवार्य दस्तावेज</b>
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	4.1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के परिशिष्ट क्र.04 को पूर्णतः भर कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत) /भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	4.4	निविदाकार स्वामित्व (प्रोप्राइटरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिये। भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन एवं म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये जिसके प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करें।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि (ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से जमा) की पावती लगाना अनिवार्य है।	4.5	तकनीकी बिड के साथ रु. 20000/- की ई.एम.डी. राशि प्रति मार्ग के मान से जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाता धारक हो।	4.6	आयकर स्थायी खाता कमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो। (Assessment year 2020-21 एवं 21-22)	4.7	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

6. निविदा दस्तावेज कय हेतु –

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइट [http:// www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) एवं [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) पर अवलोकन एवं डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा दस्तावेज के कय मूल्य की राशि रू. 1000/- (रू. एक हजार रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

**निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :**

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर अधिकृत हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्र.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अधिकृत हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा)
1	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुखतारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.  
जबलपुर।

महोदय,

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के अन्तर्गत .....मार्ग हेतु साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक ..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि प्रति मार्ग के मान से कमशः-

1. स्लीमनाबाद से करौंदी आश्रम मार्ग साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु पावती क्रमांक ..... दिनांक ..... रु. 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) ऑनलाईन अपलोड कर रहा हूँ।

**आवश्यक अर्हताएं**

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी/पंजीकृत सहकारी संस्था अथवा अन्य) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र/ पार्टनरशिप डीड/पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म /कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
3.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) का जी. एस.टी नम्बर होना आवश्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह के भीतर जी.एस.टी नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।		जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह के भीतर जी.एस.टी नम्बर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के बैंक का नाम व (Current) चालू खाता क्रमांक। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में बैंक में (Current) चालू खाता खोलकर जानकारी उपलब्ध कराना होगा।		बैंक खाते का एक स्वप्रमाणित निरस्त मूल चेक संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में बैंक में (Current) चालू खाता खोलकर स्वप्रमाणित निरस्त(Cancelled) मूल चेक उपलब्ध कराना होगा।
5.	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) का वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर जमा (ITR) विवरण संलग्न करना आवश्यक है। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में पूर्व वर्षों का आयकर जमा विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की आयकर विवरणी (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में पूर्व वर्षों का आयकर जमा विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।
6.	खुदरा विक्रय/परिवहन हेतु निर्धारित वैध FSSAI लायसेन्स होना आवश्यक है। ऐसे		FSSAI लायसेन्स की स्वप्रमाणित

	निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह में <b>FSSAI</b> लाईसेंस प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।		छायाप्रति संलग्न करें। ऐसे निविदाकर्ता जो कि नवीन कार्य आरम्भ कर रहे हैं को परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन की स्थिति में एक माह में <b>FSSAI</b> लाईसेंस प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) की रसीद प्रति मार्ग के मान से लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु. 20,000/- ( बीस हजार रुपये) की रसीद प्रति मार्ग के मान से संलग्न करें।
8	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बाबत रु.100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		निविदा पत्र के <b>परिशिष्ट 05</b> पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मूल शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।
9	निविदाकर्ता (व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को एमपीसीडीएफ /अन्य किसी भी दुग्ध संघ एवं किसी शासकीय एवं अशासकीय संस्था द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का रु.100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप <b>परिशिष्ट "06"</b> अनुसार संलग्न करें।
10	निविदाकर्ता ( व्यक्ति/उद्यमी/सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म /पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के विरुद्ध किसी भी थाने में आर्थिक अथवा अन्य अपराध संबंधी प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		निविदा पत्र के <b>परिशिष्ट '07'</b> पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रु.100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।
11	निविदाकर्ता द्वारा पूर्व या वर्तमान में वितरक/ परिवहनकर्ता/वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत या कार्य किया गया है व आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो <b>परिशिष्ट '08'</b> निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।		निविदा पत्र के <b>परिशिष्ट '08'</b> पर संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।
12.	उपलब्ध वाहन का प्रकार- मॉडल,क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है।		उपलब्ध वाहन के समस्त दस्तावेज यथा पंजीकरण, परमिट, फिटनेस, पीयूसी, बीमा की छायाप्रति लगावें। नया वाहन खरीदने की दशा में रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें। <b>(परिशिष्ट क्रमांक 09)</b>

नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
नाम :- \_\_\_\_\_  
पता :- \_\_\_\_\_

## साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता हेतु

### निविदा की आवश्यक सामान्य शर्तें :-

1. परिवहनकर्ता हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर ऑनलाईन के माध्यम से जबलपुर दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को नियत दिनांक को समय सीमा में प्राप्त हो जाना चाहिए।
2. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह समझा जावेगा की उनके द्वारा परिवहनकर्ता निविदा हेतु दी गई समस्त सूचनाओं, शर्तों एवं अनुबंध आदि का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है एवम् निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है।
3. निविदाकार को निविदा पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।(कंपनी/फर्म)
4. निविदाकार को तो प्रत्येक मार्ग हेतु ई.एम.डी राशि रु. 20000/- के मान से भुगतान कर पावती प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ईएमडी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
5. निविदाकार द्वारा स्लीमनाबाद-करौंदी आश्रम मार्ग परिवहनकर्ता हेतु इन्स्युलेटेड वाहन टाटा ऐस/आपे ऑटो या समकक्ष 1 टन क्षमता वाहन मॉडल वर्ष **2016** या उसके बाद के पंजीकृत वाहन होना अनिवार्य है, साथ ही संलग्न किये जा रहे वाहन में निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इंसुलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्सुलेटेड बॉडी बनवाकर (थर्मोकॉल हैवी डेन्सिटी 2 इंच "या पफ इन्सूलेशन 2 इंच) व वाहन में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय की गई डिजाईन अनुसार वाहन के दोनों तरफ व पीछे विनाइल पेस्टिंग स्वयं के व्यय से कराकर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, इस हेतु रु. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरीज्ड शपथ पत्र निविदा के साथ **परिशिष्ट क. 09** अनुसार प्रस्तुत करें। अन्यथा निविदा निरस्त कर ई.एम.डी. राजसात कर ली जावेगी। वाहन संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेज इस कार्यालय में जमा करना होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की ई.एम.डी. राजसात कर अंतरिम कार्य आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।
6. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सफल निविदाकार को मार्ग अनुसार निविदा में चाही गई प्रतिभूति राशि डीडी/नगद/आरटीजीएस के माध्यम से जो कि पेयबल ऐट "जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित" जबलपुर के नाम से देय होगा, दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। ईएमडी राशि का निविदा स्वीकृती उपरांत समायोजन प्रतिभूति राशि से किया जा सकेगा। प्रतिभूति राशि निर्धारित समय सीमा में जमा न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही निविदाकार की होगी। जिसकी विवरण सारणी निम्न है :-

क्र.	मार्ग का विवरण	औसत विक्रय मात्रा लीटर/दिन लक्ष्य एवं वाहन क्षमता	प्रतिभूति राशि रु.	लगभग दूरी
1.	स्लीमनाबाद-करौंदी आश्रम मार्ग	टाटा ऐस/आपे ऑटो या समकक्ष क्षमता 1 टन, लगभग दूरी	20,000/-	52 किमी. आना-जाना।

9. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अमानत राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही निविदाकार का ऐसा निविदा प्रपत्र निरस्त समझा जाएगा।

10. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रु. 1000/- के स्टाम्प पेपर पर सभी मार्गों का पृथक-पृथक रूप से निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध अंतरिम कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की समय सीमा में निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
11. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।
12. किसी भी निविदा को बिना सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।
13. निविदाकार के पास निविदा में प्रत्येक मार्ग की निविदा में मांगे गये वाहन यदि उपलब्ध हो तो उसे (निविदाकार) निविदा के साथ वाहन के संपूर्ण दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा दस्तावेज संलग्न न होने की दशा में **परिशिष्ट 09** अनुसार शपथ पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
14. निविदाकार का नियुक्ति उपरांत कार्य संतोषजनक ना पाये जाने पर या आदेश के उल्लंघन करने पर या लापरवाहियाँ अथवा चोरी करते पाये जाने पर चोरी की गई सामग्री की राशि का 50 गुना अर्थदण्ड एवं पुनरावृत्ति होने पर पृथक किये जाने व विधि अनुसार निविदा निरस्त करने की कार्यवाही करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
15. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि **तीन वर्षों** के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं स्वीकृत दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम **दो वर्ष** हेतु बढ़ाई जा सकेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य उक्त अवधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
16. अनुबंध अवधि में परिवहनकर्ता को आवंटित वितरण मार्ग पर निविदा के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने की दशा में परिवहनकर्ता को जबलपुर दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगी। अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था पर नियमानुसार परिवहन व्यय देय होगा।
17. निविदा में निर्धारित सभी औपचारिकताएँ समय सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
18. कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में शासकीय/अशासकीय संस्था/दुग्ध संघ/एमपीसीडीएफ एवं एमपीसीडीएफ के अधीन अन्य दुग्ध संघों की नियम शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कार्य से पृथक अथवा ब्लैक लिस्ट किया है, इस बाबत रु. 100 के नोटराइज्ड स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र भरकर अनिवार्य रूप से देना होगा। (**परिशिष्ट 06**)
19. जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बाबद भी निविदाकर्ता को निविदा के साथ आगामी पृष्ठ पर संलग्न शपथ पत्र **परिशिष्ट क. 05** में भरकर आवश्यक रूप से देना होगा। यदि निविदाकार द्वारा दिया गया शपथ पत्र किसी भी समय गलत पाया जाता है एवं निविदाकार अपात्र अथवा उनसे संबंधित पाये जाते हैं तो कार्य आवंटन पश्चात भी प्रस्तुत निविदा एवं आवंटित कार्य निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी तथा ऐसे निविदाकार का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जायेगा।
20. निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना अनिवार्य होगा।
21. निविदाकार यदि वर्तमान में वितरक सह-परिवहनकर्ता/वितरक/परिवहनकर्ता के रूप कार्यरत है तथा उनकी निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी किये जाने वाले पत्र से पूर्व यदि किसी भी मद में दुग्ध संघ की लेनदारी बकाया है तो ऐसे निविदाकार को संपूर्ण लेनदारियां संघ में निर्धारित की गई समय सीमा में जमा करने के उपरांत ही औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु नवीन कार्य आदेश दिया जावेगा। **परिशिष्ट क. 08** अनुसार घोषणा प्रमाण पत्र निविदाकार को जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा में लेनदारी बकाया दुग्ध संघ में जमा न कराये जाने की स्थिति में



निविदाकार की निविदा अमान्य करने व विधि अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।

22. निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि निविदा प्रपत्र ई-निविदा के माध्यम से (ऑन लाईन) आमंत्रित किये जा रहे हैं। अतः निविदाकार, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेज व ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर निविदा भरें।
23. निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/ लाइसेंस आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा जी.एस.टी. अथवा अन्य दस्तावेज/ लाइसेंस/ कानून प्रभावशाली किये जाते हैं तो निविदाकार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/ पूर्णरूपेण पालन करना होगा।
24. निविदाकार के पास जीएसटी नम्बर होना अथवा जीएसटी नम्बर हेतु आवेदन करने का साक्ष्य आवश्यक है
25. निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाला अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।
26. परिवहनकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफ.एस.एस.ए.आई.) के अन्तर्गत पंजीकरण कराना एवं लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस की छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना होगा।
27. निविदाकार को दूध एवं दुग्ध पदार्थ अथवा एफएमसीजी (खाद्य उत्पादों) के वितरण/परिवहन का अनुभव होना चाहिये।
28. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
29. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित मार्ग हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण करने बाबत पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में निर्धारित प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य है।
30. निविदा में सफल वितरक सह-परिवहनकर्ता को 10 हस्ताक्षरित, रेखांकित चैक (दुग्ध संघ के हित में) दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। वितरक को प्रतिदिन प्रदाय किये जा रहे दूध एवं दुग्ध पदार्थ की राशि अग्रिम जमा करने के उपरांत ही दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदाय किये जावेंगे। (परिशिष्ट क्र. 13 अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करें)
31. निविदाकार/आवेदक दरें वर्तमान में प्रचलित डीजल दर पर समस्त कर सहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा अवधि में **डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को स्वीकृत परिवहन दर में समानुपातिक रूप से दुग्ध संघ के नियमानुसार दिया जावेगा।**
32. निविदाकार को कार्य आवंटन उपरांत प्रतिदिन दूध ले जाने वाली क्रेटों को अगले दिन वापिस लाना अनिवार्य होगा। यदि एक दिन की औसत सप्लाई में प्रयुक्त क्रेटों की संख्या से अधिक क्रेटें मार्ग पर लंबित रहती हैं तो लंबित क्रेटों की धनराशि तत्समय दुग्ध संघ की क्रय दर के आधार पर परिवहन देयकों से कटौती की जावेगी।
33. स्वीकृत निविदाकार को मार्ग की संस्थाओं को समय-समय पर दुग्ध संघ द्वारा मार्ग में नियुक्त किये गये वितरकों/सह वितरक परिवहनकर्ता को उनके स्थान पर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय कर पूर्ण खाली क्रेटें दुग्ध संघ में जमा करने की जवाबदारी होगी।
34. परिवहनकर्ता द्वारा मार्ग में संबंधित वितरकों/सह परिवहनकर्ताओं की मांग अनुसार प्रदायगी की जावेगी। जिसकी प्रतिदिन की पावती परिवहनकर्ता को संबंधित वितरकों/वितरक सह परिवहनकर्ताओं से प्राप्त कर संधारित करना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की कमी/क्षतिपूर्ति होने की दशा में उक्त सामग्री की राशि का कटौती परिवहनकर्ता के देयकों से किया जावेगा।
35. निविदाकार को **स्लीमनाबाद-करौंदी आश्रम** का साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ स्लीमनाबाद में कटनी वितरण वाहन से एक नियत स्थान पर प्राप्त कर **करौंदी आश्रम तक परिवहन कर प्रदाय कर** पावती दुग्ध संघ में जमा करना होगी एवं खाली क्रेटें प्राप्त कर प्रतिदिन कटनी वाहन वितरण वाहन में पहुँचा होगी

मेरे/हमारें द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ **स्लीमनाबाद-करौंदी आश्रम मार्ग** हेतु परिवहनकर्ता कार्य की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली गई है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य

प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 35 एवं अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्टमनी राशि राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम.....

पता.....

पिनकोड नम्बर.....

फोन नम्बर.....

मोबाइल नम्बर.....

ई-मेल पता.....

वित्तीय बिड

(केवल ऑनलाईन भरे)

क्र.	मार्ग का नाम एवं दुग्ध वितरण की व्यवस्था	इंस्युलेटेड वाहन से दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन करने की दर/किमी.	
		परिवहन दरें (अंको में)	परिवहन दरें (शब्दों में)
1.	स्लीमनाबाद से करौंदी आश्रम तक दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं क्रेटें वापिसी दर रू./किमी. (आना-जाना)		

नोट:— निविदाकार को केवल परिवहन दर ही प्रस्तुत करनी होगी जो कि केवल ऑनलाईन ही भरनी होगी। भौतिक रूप से वित्तीय बिड भरने पर दरें मान्य नहीं होगी।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम \_\_\_\_\_

## निविदाकार का परिचय

स्वयं का  
स्वहस्ताक्षरित  
पासपोर्ट  
साईज फोटो  
लगावें।

1. निविदाकार का नाम .....
2. फर्म का नाम .....
3. पिता का नाम .....
4. स्थाई/वर्तमान पता .....
- .....(दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)
5. प्रस्तावित मार्ग का नाम .....
6. दूरभाष/मोबाईल नं. ....
7. ई-मेल (अनिवार्य) .....
8. शैक्षणिक योग्यता .....
9. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है। .....
- .....
10. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) .....
11. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ या एफएमसीजी (खाद्य उत्पाद) वितरण/परिवहन का कोई अनुभव हो तो विवरण -----(दस्तावेज संलग्न करें)
12. (अ) पेन नम्बर .....
- (ब) FSSAI .....
- (स) GSTIN नम्बर .....
- (द) ई.एम.डी.राशि का विवरण .....
- (समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य संबंधी इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर  
नाम-----

## शपथ-पत्र रू. (रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत .....(मार्ग का नाम) से संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा जबलपुर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----  
-----  
-----

**शपथ-पत्र रू. (रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)**

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत .....(मार्ग का नाम) परिवहनकर्ता संबंधित प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

हस्ताक्षर-----

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —  
पिता —  
आयु —  
निवासी —

1— मैं शपथग्रहिता द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा आमंत्रित .....  
.....(मार्ग का नाम) परिवहनकर्ता हेतु निविदा प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मैं  
शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी  
प्रकार का कोई अपराधिक/आर्थिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक ..... जबलपुर हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....  
....

**सत्यापन**

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01  
में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं  
गया है।

इति दिनांक ..... जबलपुर हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....  
.....

घोषणा पत्र

मैं/हम -----घोषणा करता हूँ/हैं कि मेरे द्वारा जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर में वर्ष ----- से परिवहनकर्ता/वितरक सह-परिवहनकर्ता के रूप में कार्य किया गया है/कार्यरत हूँ। यदि मैं/हम निविदा में सफल होता हूँ/हैं तो नवीन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यदि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर में पूर्व/वर्तमान की कोई भी लेनदारी-देनदारी प्रदर्शित होगी तो संपूर्ण लेनदारी-देनदारी का भुगतान/समायोजन निर्धारित अवधि में मेरे/हमारे द्वारा किया जाकर दुग्ध संघ से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त करने का अधिकार जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को होगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम-----

मोबाईल नंबर-----

पता-----



शपथ-पत्र रु. (रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत .....(मार्ग का नाम) परिवहनकर्ता मार्ग हेतु दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैं एक माह की समय सीमा में वाहन निर्धारित मापदण्ड अनुसार दुग्ध संघ को निर्धारित कार्य हेतु उपलब्ध करा दूँगा तथा निविदा स्वीकार होने की दिनांक से एक माह की अवधि में इन्स्युलेटेड बॉडी बनवाकर (पफ इन्सूलेशन 2 इंच/थर्मकोल हैवी डेन्सिटी 2 इंच) व वाहन में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय की गई डिजाईन अनुसार वाहन के दोनों तरफ व पीछे विनाइल पेस्टिंग स्वयं के व्यय से कराकर वाहन उपलब्ध करवाऊँगा। उक्त के लिये मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----  
-----  
-----

शपथ-पत्र रू. (रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत .....(मार्ग का नाम) परिवहनकर्ता मार्ग हेतु प्रस्तावित मार्ग में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा मेरी बैंक चैक बुक (क.....से .....तक) जो कि मेरे स्वयं के बैंक खाते.....(बैंक का नाम) खाता क्र. ....की है, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को उपलब्ध करा रहा हूँ। जिसका उपयोग भविष्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों एवं क्रेटों के लंबित भुगतान हेतु जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा किया जा सकता है। उक्त के लिये मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

-----

हस्ताक्षर-----

**शपथ-पत्र रू. (रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)**

मैं..... निवासी.....जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत .....(मार्ग का नाम) से संबंधित दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहनकर्ता कार्य हेतु जो परिवहन राशि अंकित की जावेगी, उसका देयक प्रतिमाह प्रस्तुत करूँगा। देयक पर अगर नियमानुसार TDS/GST/TCS इत्यादि कर लगता है, उसे मेरे द्वारा वहन किया जावेगा। वितरक सह परिवहनकर्ता होने की स्थिति में नियमानुसार TDS/GST/TCS कर इत्यादि लगता है, उसे मेरे द्वारा वहन किया जावेगा। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त के लिये मैं स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----  
-----  
-----

## दूध एवं दुग्ध उत्पाद परिवहनकर्ता अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक .....को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर जिसे आगे दुग्ध संघ/प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं मेसर्स श्री \_\_\_\_\_ पिता श्री पता \_\_\_\_\_ मो. \_\_\_\_\_ द्वारा पार्टनर श्री \_\_\_\_\_ पिता श्री \_\_\_\_\_ पता \_\_\_\_\_ मो. \_\_\_\_\_ से बतौर दूध एवं दुग्ध पदार्थ के परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग \_\_\_\_\_ के लिये दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि वास्ते अनुबंध कर हस्ताक्षरित किया गया। इन्हें आगे द्वितीय पक्ष /परिवहनकर्ता/टेकेदार नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे।

परिवहनकर्ता द्वारा जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर संयंत्र से शहडोल मार्ग पर सभी वितरण केन्द्रों तक दुग्ध भरी क्रेटस, केन एवं दुग्ध वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर तक परिवहन करने के वास्ते अपने निजी वाहन क्र. \_\_\_\_\_ से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ, जबलपुर को निर्धारित समय पर परिवहन हेतु आवेदन किया है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निम्नलिखित शर्तों पर परिवहनकर्ता का आवेदन परिवहन दर रु. \_\_\_\_\_ /किमी. प्रतिदिन आना व जाना मिलाकर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। इसके लिये दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता तो, उसे एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा। प्रथम पक्ष द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक द्वितीय पक्ष को निर्धारित दर एवं शर्तों पर यथावत् कार्य करते रहना होगा।
2. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकार होने पर परिवहनकर्ता निर्धारित मार्गों एवं स्थानों पर स्वयं की निविदा में वर्णित क्षमता अनुसार इंसुलेटेड वाहन द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों का वितरण करेगा। ऐसे मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित की जावेगी और आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा। जो परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाये गये केन्द्रों में केन्द्र बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन अधिकतम किमी. दर्शाने से दस किमी. ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ/प्रथम पक्ष को होगा।
3. निविदा में स्वीकृत दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय दूध की क्रेटस तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के वितरक/वितरक सह परिवहनकर्ता /विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट व केन आदि वापस लेकर जबलपुर डेयरी में चालान के अनुसार संघ द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सौंपने तक के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
4. (अ) परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त नियमित कर्मचारी द्वारा कितनी क्रेट डेयरी से प्राप्त किया जाना है, उतने ही क्रेटस रिटर्न लाते समय डेयरी से वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी

अन्यथा जितने खाली क्रेटस कम वापस किये जावेंगे उतने ही क्रेटों की कीमत तत्समय दुग्ध संघ की क्रय दर अनुसार राशि परिवहनकर्ता के बिल में से कटौती किया जावेगा।

(ब) विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन निर्धारित सामग्री परिवहनकर्ता को चालान में दर्शायी गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाये जाने की समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी एवं इसी प्रकार वापिस (रिटर्न) आने वाली सामग्री भी पूर्ण रूप से डेयरी के अधिकृत वितरक/सह परिवहनकर्ता/संस्था, केन्द्रों से एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लांट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो वस्तु की कीमत की कुल रकम परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।

5. ठेकेदार वाहन के साथ चलने वाले चालक तथा नियुक्त कर्मचारियों के नाम तथा फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा अधिकृत परिचालक, वाहन चालक, संघ के वितरण स्थल पर वितरण मेनशीट में वाहन के आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड जाने की स्थिति में ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर या वैकल्पिक व्यवस्था करके समय पर कार्य संपन्न करें अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि होती है तो वह ठेकेदार का पूर्ण दायित्व होगा, अन्यथा प्रथम पक्ष द्वारा दण्ड आरोपित किया जा सकता है। एक से अधिक बार इस प्रकार की घटना होने पर निविदा निरस्त करके ठेकेदार की जमा प्रतिभूति की राशि राजसात कर लिया जावेगा।
6. वाहन की खराबी अथवा ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट-फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी, उसका संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा।
7. ठेकेदार हर पखवाडे में एक दिन कार्यालय आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर लें अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जावेगी जो ठेकेदार को मान्य होगी।
8. यह अनुबंध **तीन वर्षों** के लिये प्रभावशील रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष कर अधिकतम **दो वर्षों** हेतु बढ़ाई जा सकेगी।
9. **ठेकेदार/वाहन** चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेटस/केन लायेंगे एवं दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की काटा-पीटी नहीं करेंगे। न ही दूध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदान होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
10. दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे, ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगना कीमत वसूल की जावेगी।
11. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर से किसी प्रकार की गडबडी करेगा तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाँच करेंगे तथा यदि प्रथम दृष्ट्या दूध, दुग्ध संघ की प्रयोगशाला के परीक्षण में अपमिश्रित पाया जाता है तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर डेयरी का होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त कर ली जावेगी।
12. परिवहनकर्ता के कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (प्रयोगशाला) परीक्षण में जाँच की प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि की पुनरावृत्ति करने पर उक्त परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

13. परिवहनकर्ता एवं परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी प्रकार संघ के अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की शिकायत करने पर कर्मचारी को तुरन्त हटा देना होगा। परिवहनकर्ता द्वारा कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका अनुबंध तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जावेगा।
14. प्रथम पक्ष के सुरक्षा गार्ड द्वारा जाँच करने की दशा में परिवहनकर्ता के अटेन्डेंट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को संपन्न करवायेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जाँच किये जाने में सहयोग करेंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जाँच पडताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।
15. द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत वाहन चालक एवं अटेन्डेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाडी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाडी में पाये गये तो परिवहनकर्ता से रूपये 25/- (रूपये पच्चीस मात्र) प्रति व्यक्ति दर से वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि वाहन निर्धारित समय से 15 मिनट तक अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगना (जो भी अधिक देय हो) परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा। जितने दिन परिवहनकर्ता दुग्ध वितरण के लिये अपना वाहन नहीं भेजेंगे, उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिये रूपये 200/- (रु. दो सौ मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा।
16. द्वितीय पक्ष को दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेयरी में आना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी। तत्पश्चात् रु. 100/- प्रति घंटा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में बिल से कटौती किया जावेगा।
17. यदि परिवहनकर्ता का वाहन खराब हो जाता है तो उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक (विपणन) की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा। तत्पश्चात् स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ का होगा।
18. परिवहनकर्ता का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था परिवहनकर्ता करेगा उसकी संपूर्ण जानकारी कार्यालय को देनी होगी।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर, डेयरी जबलपुर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना परिवहनकर्ता दुग्ध या दुग्ध पदार्थ से भरी क्रेटों के साथ किसी बाहरी व्यक्तियों का या अन्य सामान का परिवहन नहीं करेगा।
20. देयकों का भुगतान माह में दो बार किया जावेगा, परिवहनकर्ता को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक एवं 18 तारीख तक देयक संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख या 30 तारीख तक -----के माध्यम से किया जावेगा।
21. वाहन चालक व अटेन्डेन्ट द्वारा शीतकक्ष से दुग्ध के क्रेट मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार निकालेगा। अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (प्लांट ऑपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को परिवहनकर्ता तुरन्त बदल देगा।
22. अनुबंध की शर्त एवं अवधि दिनांक ----- से तक की अवधि ----- के लिये प्रभावशाली रहेगी। अनुबंध की शर्तों की अवहेलना करना एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर बिना कोई कारण बताये

- निरस्त कर सकेंगे एवं अनुबंध समाप्त किये जाने पर परिवहनकर्ता ऐसी संभावित के कारण कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।
23. वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ जबलपुर के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा। उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर अनुबंध निरस्त करने समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
  24. परिवहनकर्ता को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न ही उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो अनुबंध तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर को होगा ।
  25. जबलपुर डेयरी की बकाया देय रकम परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी।
  26. डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित 20 किमी./घंटे की गति से ज्यादा गति से नहीं चलाये जावेंगे और न ही डेयरी की परिधि के अंदर वाहन की साफ-सफाई की जावेगी। यदि ऐसा किया गया तो प्रति अवसर रुपये 100/- परिवहनकर्ता पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।
  27. परिवहनकर्ता द्वारा दिये गये भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव में परिवहनकर्ता की अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलायेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा वाहन चलाने के लिये असमर्थता व्यक्त की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा ।
  28. उपरोक्त किसी भी शर्तों एवं दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशों, शर्तों एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर को होगा ।
  29. उपरोक्त शर्तों के अलावा संघ के हित को देखते हुए कार्य भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर सुरक्षित रखता है।
  30. परिवहनकर्ता को क्रेटों का लेखा-जोखा स्वयं रखना होगा कम क्रेट की वसूली जो आरोप पत्र परिवहनकर्ता को दिया जावेगा उस आरोप पत्र प्राप्ति के 6 दिवस के अंदर कम क्रेट संघ में जमा करना होंगे अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के परिवहनकर्ता के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी। कटौती होने के पश्चात् काटी गई राशि वापस नहीं की जावेगी।
  31. खाली क्रेटों का लेखा जोखा प्रत्येक माह का अगले माह की 5 तारीख तक स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण करा लें। निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिये स्वयं परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा।
  32. यदि परिवहनकर्ता शर्तों के परिपालन में असमर्थ है या अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह के पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि विशेष देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी।
  33. परिवहनकर्ता के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये जबलपुर दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा जबलपुर दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राजसात जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण जबलपुर दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान परिवहनकर्ता को जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवं हानियों का जो परिवहनकर्ता से वसूल की जाना है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

34. यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी समानुपातिक दर से की जा सकेगी। इस हेतु मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हो, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतन 10 किमी. प्रतिलीटर, टाटा 608/709 आयशर औसतन 06 किमी. तथा महिन्द्रा पिकअप/समकक्ष औसतन 10 किमी. प्रतिलीटर के आधार पर गणना की जावेगी।
35. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कन्ट्रेक्टर को संबंधित विभाग से कोड नंबर प्राप्त कर प्रावधानों के अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित वाहन परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि/लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
36. अनुबंधित अवधि के लिये द्वितीय पक्ष को अपने चालक/कर्मचारियों का बीमा स्वयं के व्यय से कराना अनिवार्य होगा। परिवहनकर्ता के अधीन नियोजित किसी चालक/कर्मचारी को हुई किसी भी प्रकार की क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु संघ उत्तरदायी नहीं होगा।
37. द्वितीय पक्ष साँची दुग्ध उत्पादों की उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर बनाये रखने वास्ते इंश्युलेटेड वाहन परिवहन/वितरण हेतु संघ को उपलब्ध करायेगें, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन अनुबंध निरस्त हो जावेगा।
38. आपातकालीन स्थिति यथा नदी-नाले चढने पर मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटौती मासिक देयक से किया जावेगा।
39. उपरोक्त अनुबंधित शर्तों के अतिरिक्त समय-समय पर संघ द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन संघ हित में करने हेतु द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा एवं बाध्य होगा।
40. समस्त श्रम अधिनियमों का पालन करने का दायित्व वाहन परिवहनकर्ता का होगा।
41. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र जबलपुर शहर का न्यायालय होगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी तहत दिनांक.....को निष्पादित किया गया है। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में इस अनुबंध की समयावधि उपरोक्त शर्तों के अधीन बढ़ा सकेगा।
42. परिवहनकर्ता को अपने वाहन में GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा जिसका मासिक किराया व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
43. परिवहनकर्ता की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय प्रदान किया जाना आवश्यक है।
44. परिवहनकर्ता को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा।
45. परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित कर्षों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही परिवहनकर्ता के विरुद्ध की जा सकेगी।
46. परिवहनकर्ता द्वारा वितरण वाहन में केवल साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का परिवहन एवं वितरण किया जावेगा। वितरण वाहन में किसी अन्य सामग्री, प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं प्रतिबंधित वस्तु का परिवहन नहीं किया जावेगा। उपरोक्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार अर्थदण्ड रु. 5000/- का अधिरोपण किया



जावेगा एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर परिवहन कार्य निरस्त करते हुए उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।

47. परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज पंजीकरण, परमिट, फिटनेस एवं इन्स्युलेशन आदि का निरीक्षण संघ की गठित समिति को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संघ द्वारा गठित समिति से निर्धारित समय सीमा में कराना होगा।
48. परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश परिवहनकर्ता संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।
49. यह कि परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेंगे जितनी कि शीट एवं चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध/प्रोडेक्ट्स वाहन में पाया जाता है तो अधिक दूध/दूध पैकेट, प्रोडेक्ट्स पाये जाने पर दूध/प्रोडेक्ट्स की कीमत का 50 गुना राशि का अर्थदण्ड परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा एवं वाहन लोडर को हटाया जाएगा।
50. द्वितीय पक्ष को संबंधित आवंटित मार्ग पर होने वाले व्यय जैसे टोल टोक्स, चालान एवं क्षतिपूर्ति एवं अन्य संबंधित व्यय का भुगतान स्वयं के व्यय पर करना होगा। दुग्ध संघ उक्त व्यय के भुगतान के लिये बाध्य नहीं होगा।
51. यदि पक्षकारों के बीच इस अनुबंधित कार्य के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो, उस स्थिति में प्रबंध संचालक, एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
52. निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट क्रमांक 02 में उल्लेखित निविदा की समस्त सामान्य शर्तें भी इस अनुबंध का हिस्सा होकर परिवहनकर्ता को मान्य होंगी।
53. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

अनुबंध की कंडिका 01 से 53 तक वर्णित नियम व शर्तों का द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी समय उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में एक नोटिस दिया जाकर कार्य आदेश निरस्त करने, जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा। द्वितीय पक्ष को अनुबंध की कंडिका 01 से 53 तक का पालन करना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी एक या एक से अधिक कंडिकाओं का उल्लंघन पाये जाने पर जारी कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। इस बावत् मात्र एक नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा सकेगी।

मैं ..... पिता/पति/पत्नी.....

परिवहनकर्ता मार्ग क्रमांक ..... अपना उत्तराधिकारी (नामिनी)  
श्री/श्रीमति..... को घोषित करता/ करती हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक ----- को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के निर्देशानुसार परिवहनकर्ता द्वारा संतोषप्रद कार्य करने व नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा सभी प्रकार की वसूली उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा अमानत राशि व बैंक गॉरंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष द्वारा उल्लंघन करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को होगा। उभय पक्ष में यह अनुबंध पत्र की शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है, जो प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

(हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष)

परिवहनकर्ता

(हस्ताक्षर प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

नाम-----

पता -----  
-----

प्रभारी (विपणन)

जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या.जबलपुर

गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी





This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>